

MANOMAY TEX INDIA LIMITED  
REGD. OFF. :- 32, HEERA PANNA MARKET  
PUR ROAD, BHILWARA - 311001 (RAJ)

CIN : L18101RJ2009PLC028647  
Mail Id : ykladdha@hotmail.com  
Contact No. : 01482-246983  
Website: www.manomaytexindia.com

=====  
MTIL/BSE/2019-20

Date: 23/03/2020

The Secretary, Listing Department  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai-400001  
Maharashtra, India

Scrip Code: 540396

Symbol: MTIL

**Ref: Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

**Sub: Intimation of disruption of operations in the wake of Coronavirus (COVID-19) Outbreak**

This is to inform that due to the novel coronavirus (COVID-19) outbreak, the Government of Rajasthan has been directed to implementation completed lockdown of the state from 22<sup>nd</sup> March, 2020 to 31<sup>st</sup> March, 2020. The CM press note in this regard is being attached herewith.

In adherence to the orders of the government, the Company has been shut down the production and office operation from 22<sup>nd</sup> March, 2020 till further notice. The Duration of this shutdown will depend upon government policy.

Thanking you.

Yours faithfully

**For: Manomay Tex India Limited**

*KAMESH SHRI MAL*

KAMESH SHRI SHRI MAL

Company Secretary

Enc: a/a

राजस्थान सरकार  
मुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ

## कोरोना संक्रमण की समीक्षा के दौरान सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय

### **प्रदेश में 31 मार्च तक पूरी तरह लॉकडाउन करें : मुख्यमंत्री**

जयपुर, 21 मार्च। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए प्रदेशभर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 22 मार्च से 31 मार्च तक पूरी तरह लॉक डाउन के निर्देश दिए हैं। इस लॉक डाउन के तहत आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त समस्त राजकीय एवं निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैकिरियां एवं सार्वजनिक परिवहन आदि बंद रहेंगे। उन्होंने कहा है कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए लोगों का घरों में रहना बेहद जरूरी है।

श्री गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में सरकार प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है। आमजन कोरोना को हराने के लिए सरकार के निर्णयों और एडवाइजरी का पूरी तरह पालन करें ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो।

### **दैनिक निर्णयों के लिए कोर ग्रुप गठित**

मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों के अनुरूप दैनिक आधार पर अलग—अलग विभागों संबंधी सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय एवं उनको क्रियान्वित कराए जाने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एवं परिवहन श्री राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है। इस ग्रुप में अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास, प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शासन सचिव खाद्य एवं आपदा प्रबंधन, शासन सचिव सामान्य प्रशासन, शासन सचिव श्रम और संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव सदस्य होंगे। यह कोर ग्रुप लॉकडाउन एवं अन्य पाबंदियों के कारण आम जनता विशेषकर गरीब एवं वंचित वर्ग की आवश्यकताओं हेतु लिए जाने वाले निर्णयों के लिए अपनी अभिशंषा करेगा।

### **एनएफएसए से जुड़े परिवारों को दो माह का गेहूं निःशुल्क**

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के इस दौर में लोगों को खाद्य सामग्री को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े एक करोड़ से अधिक परिवारों जिनको एक रूपए एवं दो रूपए प्रतिकिलो गेहूं मिलता है, उन्हें मई माह तक गेहूं निःशुल्क दिए जाने के निर्देश दिए हैं।

### **शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को मिलेंगे खाद्य सामग्री के पैकेट**

श्री गहलोत ने शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेण्डर्स, दिहाड़ी मजदूरों एवं ऐसे जरूरतमंद परिवारों जो एनएफएसए की सूची से बाहर हैं, को एक अप्रैल से दो माह तक आवश्यक खाद्य सामग्री के पैकेट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं। ये पैकेट जिला प्रशासन तथा नगरपालिकाओं के सहयोग से उपलब्ध करवाए जाएंगे।

## **सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण अप्रैल के प्रथम सप्ताह में**

श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस से पैदा हुए हालातों में सभी प्रकार के पेंशनधारियों को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभार्थियों को वितरण अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह तक कर दिया जाएगा।

## **लॉक डाउन के दौरान फैक्ट्री श्रमिकों को मिले सवैतनिक अवकाश**

मुख्यमंत्री ने अपील की है कि लॉक डाउन के दौरान बंद रहने वाली फैक्ट्रीयों में किसी भी मजदूर को नौकरी से नहीं निकाला जाए तथा उन्हें इस अवधि का सवैतनिक अवकाश देना चाहिए। उन्होंने इसके लिए श्रम विभाग को निर्देश दिए कि फैक्ट्री प्रबंधकों से निरंतर सम्पर्क रखा जाए।

बैठक में मुख्य सचिव श्री डी.बी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रोहित कुमार सिंह, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

---